संख्याः 2102/तीन–90–55जी/1958–सा0 प्र0 अनु0

प्रेषक,

श्री राजकुमार भार्गव
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष
मण्डलों के आयुक्त, जिलाधिकारी तथा,
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ : 25 जुलाई 1990

विषय : सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों का कार्यालय तथा मध्याह्न भोजन का समय।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 55–जी/1958–सा0 प्र0 अनु0–2 दिनांक 29 जनवरी 1972 के अन्तर्गत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी कार्यालयों का कार्यालय समय एवं मध्याह्न भोजन का समय निर्धारित किया गया था। सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि पूर्व की भांति सरकारी कार्यालयों का समय 10 बजे प्रातः से 5 बजे सांय रखते हुये उक्त शासनादेश में निर्धारित मध्याह्न भोजन का जो समय 1 बजे से 3 बजे के बीच आधे घण्टे का निर्धारित किया गया था, दिनांक 1 अगस्त,1990 से 1.00 बजे से 2.30 बजे के बीच आधे घण्टे का होगा। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 29 जनवरी, 1972 उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु प्रत्येक कर्मचारी के लिये आधे घण्टे का समय अनुभाग अधिकारी, और जहां इस पदनाम का अधिकारी नहीं है, वहां अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि एक बार में प्रतयेक अनुभाग के लगभग एक तिहाई कर्मचारी ही मध्याह्न भोजन पर जायें। मध्याह्न भोजन की विभिन्न अवधियों में जाने वाले कर्मचारियों की सूची विभाग में टांगी जाये। अनुभाग अधिकारी व उच्च अधिकारी इस बात की निगरानी रखेंगे कि कर्मचारी मध्याह्न भोजन की अवधि व्यतीत होने पर अपने काम पर अवश्य वापस आ जायें

2– उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मध्याह्न भोजन के समय को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष अपने अपने नियंत्रणाधीन विभागों/अनुभागों में मध्याह्न भोजन के आधे घण्टे के समय का अनुपालन अपने स्तर से इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों द्वारा इस संशोधित मध्याह्न भोजन समय का सदुपयोग सही ढंग से किया जाये।

भवदीय

(राज कुमार भार्गव)
मुख्य सचिव।

संख्याः 2102 (1)/तीन–90–55जी/1958–सा0 प्र0 अनु0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : समस्त सचिव/ विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी कृपया उपरोक्तानुसार अपने नियंत्रणाधीन विभागों/अनुभागों में मध्याह्न भोजन के समय को अपने स्तर से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2. प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित।
   (1) विधान सभा सचिवालय।
   (2) विधान परिषद सचिवालय।
   (3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
   (4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3. प्रतिलिपि हाईकोर्ट ऑफ जूडिकेचर इलाहाबाद के रजिस्ट्रार को भी सूचनार्थ तथा ऐसी कार्यवाही के लिये प्रेषित जिसे माननीय उच्च नयायालय आवश्यक समझें।

आज्ञा से

देवी दयाल
सचिव